आखिरी जांच: 9 अक्टूबर 2026 · Fisheries Department, Uttar Pradesh

Assistance Scheme for New Ponds and Shrimp Seed Rearing Units in Saline Water Areas

उत्तर प्रदेश के चुने हुए जिलों की खारी ज़मीन पर झींगा और खारे पानी की मछली पालन के लिए नया तालाब बनाने पर लागत में अनुदान दिया जाता है।

क्या मिल सकता है

अंतर्देशीय खारे क्षेत्र में नया तालाब बनाने पर सामान्य वर्ग को 40 प्रतिशत और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला वर्ग को 60 प्रतिशत अनुदान। खारे पानी के नए तालाब की इकाई लागत 17 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर तय है।

किसके लिए है

उत्तर प्रदेश के खारे पानी वाले जिलों, जैसे मथुरा, आगरा और हाथरस, के किसान और मत्स्य पालक, जिनके पास अपनी ज़मीन या लंबी पंजीकृत लीज़ है।

मुख्य शर्तें

- ज़मीन मथुरा, आगरा, हाथरस, प्रतापगढ़, मैनपुरी, एटा, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, कानपुर देहात या इटावा जैसे चुने जनपदों या अन्य प्रभावित क्षेत्रों में होनी चाहिए।
- आवेदक के पास अपनी ज़मीन हो या कम से कम 7 साल की पंजीकृत लीज़ हो।
- योजना में भाग लेने के लिए कम से कम 0.20 हेक्टेयर ज़मीन चाहिए।

दस्तावेज़

- आवेदक की फोटो
- पहचान पत्र: आधार, पैन या वोटर आईडी
- बैंक खाते का विवरण: पासबुक की प्रति या स्टेटमेंट
- स्वहस्ताक्षरित शपथ पत्र
- भूमि अभिलेख की प्रति (आवेदन के समय पट्टे की कम से कम 7 साल की अवधि बची होनी चाहिए)

आवेदन कैसे करें

1. मत्स्य विभाग की वेबसाइट fisheries.up.gov.in पर इस योजना का 'आवेदन करें' लिंक खोलें।
2. ऑनलाइन आवेदन के साथ यहाँ बताए दस्तावेज लगाएँ, और योजना पृष्ठ पर दिए प्रारूप में स्वहस्ताक्षरित शपथ पत्र दें।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://fisheries.up.gov.in/Sub-Scheme-details/142
आधिकारिक आवेदन: https://fisheries.up.gov.in/signin
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/uttar-pradesh/up-saline-water-new-ponds-shrimp-rearing/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।